भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3103

दिनांक 13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कॉर्निया दान के लिए सहमति

†3103. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कॉर्निया दान के लिए एक अवकल्पित सहमति नीति शुरू करने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नीति का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने व्यक्तिगत सहमति से संबंधित ऐसी नीति की संवैधानिक वैधता की जांच की है;
(घ) यदि हां, तो उक्त जांच के निष्कर्ष क्या हैं और क्या इस संबंध में कोई कानूनी सुरक्षा उपाय करने का प्रस्ताव है; और
(ङ) क्या सरकार अन्य अंगों के दान के लिए सहमति के लिए ऑप्ट-आउट पद्धति का विस्तार करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): वर्तमान में, कॉर्निया दान के लिए अवकल्पित सहमति नीति या अंग दान के लिए ऑप्ट-आउट सहमति पद्धति शुरू करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****